राजस्व वाद संख्या–173/2020
जीसीएमएस संख्या – 2020/00386
सुरेन्द्र कुमार आदि बनाम चौथमल आदि
निर्णय दिनांक 27–09–2022

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी– सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

1. सुरेन्द्र कुमार पुत्र सुगनाराम उम्र 40 साल जाति माली निवासी मिया साहब वाला कुआ नारनौल रोड़ नजदीक भोदन पुलिया सिंघाना तहसील बुहाना
2. किशन लाल पुत्र सुगनाराम उम्र 38 साल जाति माली निवासी सिंघाना हाल आबाद चंवरा तहसील उदयपुरवाटी
3. मुनेश कुमार पुत्र सुगनाराम उम्र 35 साल जाति माली निवासी ढाणी मस्तावाली तन सिंघाना तहसील बुहाना

..........वादीगण

बनाम

1. चौथमल पुत्र कन्हीराम उम्र 60 साल जाति माली जाति माली निवासी मिया साहब वाला कुआ नारनौल रोड़ नजदीक भोदन पुलिया सिंघाना तहसील बुहाना
2. रामस्वरूप पुत्र कन्हीराम उम्र 56 साल जाति माली निवासी मिया साहब वाला कुआ नारनौल रोड़ नजदीक भोदन पुलिया सिंघाना तहसील बुहाना
3. मालाराम पुत्र कन्हीराम उम्र 50 साल जाति माली निवासी ढाणी मस्तावाली तन सिंघाना तहसील बुहाना
4. नागरमल पुत्र कन्हीराम उम्र 54 साल जाति माली निवासी ढाणी मस्तावाली तन सिंघाना तहसील बुहाना
5. बंशीधर पुत्र कन्हीराम उम्र 48 साल जाति माली निवासी मिया साहब वाला कुआ नारनौल रोड़ नजदीक भोदन पुलिया सिंघाना तहसील बुहाना
6. करणसिंह पुत्र चुन्नीलाल उम्र 50 साल जाति माली निवासी मिया साहब वाला कुआ नारनौल रोड़ नजदीक भोदन पुलिया सिंघाना तहसील बुहाना
7. जगदीश प्रसाद पुत्र चुन्नीलाल उम्र 45 साल जाति माली निवासी मिया साहब वाला कुआ नारनौल रोड़ नजदीक भोदन पुलिया सिंघाना तहसील बुहाना
8. जमना देवी पुत्री चुन्नीलाल पत्नी दोलतराम जाति माली निवासी टीबाबसई तहसील खेतड़ी
9. रामवतार पुत्र चुन्नीलाल उम्र 60 साल जाति माली निवासी मिया साहब वाला कुआ नारनौल रोड़ नजदीक भोदन पुलिया सिंघाना तहसील बुहाना
10. भरत सिंह पुत्र चुन्नीलाल उम्र 58 साल जाति माली निवासी मिया साहब वाला कुआ नारनौल रोड़ नजदीक भोदन पुलिया सिंघाना तहसील बुहाना
11. सन्तरा देवी पुत्री चुन्नीलाल पत्नी चन्दाराम [illegible] निवासी सुलताना तहसील चिड़ावा
12. महावीर पुत्र सुरजाराम उम्र 62 [illegible] जाति माली [illegible] मिया साहब वाला कुआ नारनौल रोड़ नजदीक भोदन पुलिया [illegible]
13. श्यामसुन्दर पुत्र सुरजाराम उम्र 58 साल जाति [illegible] निवासी मिया साहब कुआ नारनौल रोड़ नजदीक भोदन पुलिया सिंघाना तहसील बुहाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.11.23 16:24:22 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड मजिस्ट्रेट बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

14. शीशराम पुत्र रामकुमार जाति गुर्जर निवासी हमीरवास तहसील बुहाना
15. आईसीआईसीआई बैंक शाखा बुहाना जरिये बैंक शाखा प्रबंधक
16. भूमिधारक तहसीलदार बुहाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं

.........प्रतिवादीगण

दावा बाबत खाता विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

–::निर्णय::–

दिनांक :– 27–09–2022

(1). वादीगण ने वाद पत्र पेश कर अनुतोष चाहा है कि :–

1. यह कि वाके ग्राम सिंघाना स्थित भूमि हाल खाता संख्या 146 जमाबंदी संवत 2075–78 के ख.नं. 199 रकबा 0.10 है., ख.नं. 201 रकबा 1.26 है., ख.नं. 202 रकबा 0.70 है., ख.नं. 607 रकबा 1.54 है., ख.नं. 608 रकबा 0.05 है. कुल किता 5 कुल रकबा 3.65 है. तथा खाता संख्या 259 जमाबंदी संवत 2075–78 के ख.नं. 203 रकबा 2.00 है. में से वादीगण का 3/144 हिस्सा यानि 1/48 हिस्सा का खाता विभाजन किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।
2. प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि खाता विभाजन होने तक वह वाद वर्णित भूमि के ख.नं. 607 का बेचान एवं निर्माण कार्य नहीं करे।

(2). दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गईं। समस्त प्रतिवादीगण की तामील सम्यक रूप से हुई।

(3). वादी की ओर से साक्ष्य दस्तावेज में ग्राम सिंघाना की नकल जमाबंदी संवत् 2075 से 2078 (खाता संख्या 146 व 259) एवं नक्शा ट्रेश की प्रतिलिपि पेश किये गये।

(4). प्रतिवादी संख्या 03 की ओर से वकील श्री विकास मिश्रा द्वारा इकबालिया जवाब पेश किया गया कि उसे दर्ज दावा अनुसार खाता विभाजन में उसे कोई आपति नहीं है। प्रतिवादी संख्या 05 की ओर से श्री कृष्ण कुमार एडवोकेट द्वारा जवाब दावा मय प्रतिदावा पेश किया गया कि वह भी अपने 1/48 हिस्से का खाता विभाजन करवाना चाहता है। प्रतिवादी संख्या 02 की ओर से श्री विकास कुमार एडवोकेट द्वारा जवाब दावा मय प्रतिदावा पेश किया गया कि वह भी अपने 1/48 हिस्से का खाता विभाजन करवाना चाहता है। शेष प्रतिवादीगण द्वारा जवाब प्राप्त नहीं हुआ है। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं बहस पर मनन किया गया। दावा खाता विभाजन का है। खाता विभाजन खातेदार का काश्तकारी अधिकार है। शेष प्रतिवादियों के अनुपस्थित रहने पर [illegible]ty करार देकर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

दावा खाता एवं लगान विभाजन बाबत दिनांक 19–[illegible]–2022 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार बुहाना को कु[illegible] लिखा गया। तहसीलदार बुहाना से कुर्रेजात रिपॉर्ट दिनांक 27–09–2022 को प्राप्त हुई [illegible] अधिवक्ता उभय पक्षकारान ने न्यायालय हाजा उपस्थित होकर निवेदन किया हैं कि तहसीलदार बुहाना द्वारा विभाजन

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.11.23 16:24:22 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड मजिस्ट्रेट बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

प्रस्ताव पर हम सहमत है, मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार हमारा विभाजन किया जावे। उन्होने आदेशिका पर भी सहमति दी गई।

बहस सुनी गई।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं बहस पर मनन किया गया। अतः वाद वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है।

–:: आदेश ::–

वाके ग्राम सिंघाना स्थित भूमि हाल खाता संख्या 146 जमाबंदी संवत 2075–78 के ख.नं. 199 रकबा 0.10 है., ख.नं. 201 रकबा 1.26 है., ख.नं. 202 रकबा 0.70 है., ख.नं. 607 रकबा 1.54 है., ख.नं. 608 रकबा 0.05 है. कुल किता 5 कुल रकबा 3.65 है. तथा खाता संख्या 259 जमाबंदी संवत 2075–78 के ख.नं. 203 रकबा 2.00 है. भूमि का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श ''अ–1 लगायत अ–03'' व नक्शा प्रदर्श ''ब'' के वाद को अंतिम डिक्री किया जाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श ''अ–1 लगायत अ–03'' व नक्शा प्रदर्श ''ब'' के अलग–अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव '''अ–1 लगायत अ–03'' व नक्शा प्रदर्श ''ब'' इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। उक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

निर्णय आज दिनांक 27–09–2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायालय के मुद्रांकित सरे इजलास सुनाया गया।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड मजिस्ट्रेट बुहाना
जिला झुन्झुनू (राज.)

30/9/22

नोट – विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श ... 3 के साथ–साथ प्रदर्श–अ–4(A) ... भी ... भी निर्णय व डिक्री दिनांक ...9.22 का अभिन्न भाग रहेगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.11.23 16:24:22 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में प्राथमिक डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारी – सुनील कुमार चौहान आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं–173/2020
निर्णय दिनांक– 27–09–2022

सुरेन्द्र कुमार आदि **बनाम** चौथमल आदि
दावा बाबत खाता विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

वादीगण की ओर से श्री मुकेश चौधरी एडवोकेट की उपस्थिति में तथा प्रतिवादी संख्या 02 एवं 05 की ओर से क्रमशः **श्री कृष्ण कुमार एडवोकेट** की उपस्थिति व शेष प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति में इस वाद में आज तारीख **27–09–2022** को **श्री सुनील कुमार चौहान उपखण्ड अधिकारी, बुहाना** के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और अंतिम डिक्री दी जाती है कि–

" वाके ग्राम सिंघाना स्थित भूमि हाल खाता संख्या 146 जमाबंदी संवत 2075–78 के ख.नं. 199 रकबा 0.10 है., ख.नं. 201 रकबा 1.26 है., ख.नं. 202 रकबा 0.70 है., ख. नं. 607 रकबा 1.54 है., ख.नं. 608 रकबा 0.05 है. कुल किता 5 कुल रकबा 3.65 है. तथा खाता संख्या 259 जमाबंदी संवत 2075–78 के ख.नं. 203 रकबा 2.00 है. भूमि का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–03" व नक्शा प्रदर्श "ब" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–03" व नक्शा प्रदर्श "ब" के अलग–अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव ""अ–1 लगायत अ–03" व नक्शा प्रदर्श "ब" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। "

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।
यह आज तारीख 27–09–2022 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(सुनील कुमार चौहान)
(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
उपखण्ड मजिस्ट्रेट बुहाना
पदेन सहायक कलेक्टर (राज.) बुहाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.11.23 16:24:22 IST
Reason: SelfAttested

नोट – विभाजन प्रस्ताव [illegible] अ–3 के साथ-साथ प्रदर्श-अ-4(A) व प्रदर्श-अ-4 भी पेश पाये, वह भी निर्णय व डिक्री दिनांक 27-9-22 का अभिन्न अंग रहेगा।